

शिक्षा का मंदिर, सोशल मीडिया का मंच नहीं।

बिहार शिक्षा विभाग के नए सोशल मीडिया दिशानिर्देशों का संपूर्ण विश्लेषण

पत्रांक- 04/अ०का० 16-84/2026-2233 | दिनांक: 04-11-2026

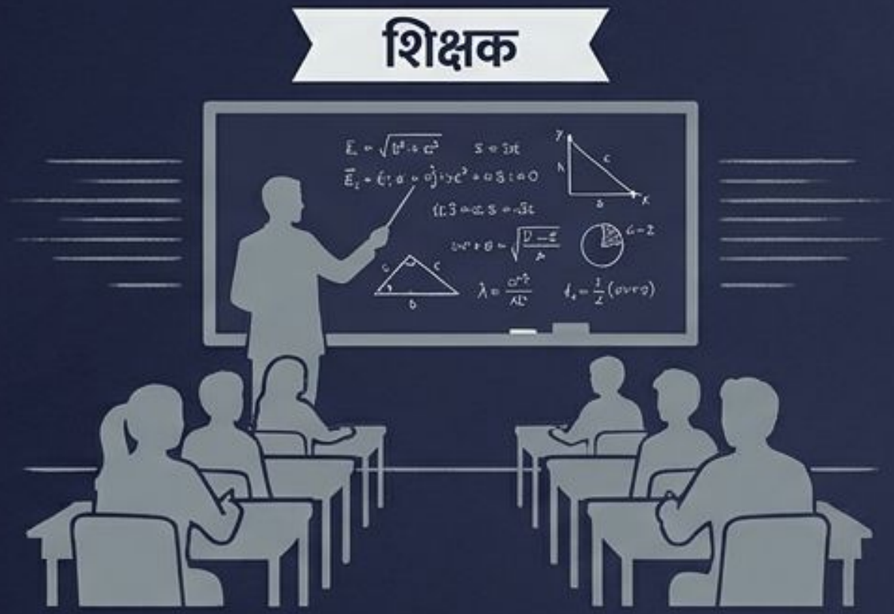
आधिकारिक निष्कर्ष

सरकारी विद्यालय परिसर में शिक्षकों और कर्मियों द्वारा निजी ‘Reels’ या वीडियो बनाने और उन्हें सोशल मीडिया (Instagram, Facebook आदि) पर बिना अनुमति अपलोड करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

यह निर्देश सभी शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, और शिक्षा विभाग के अन्य कर्मियों पर तत्काल प्रभाव से लागू है।

यह आदेश क्यों आवश्यक है?

शिक्षक बनाम Influencer



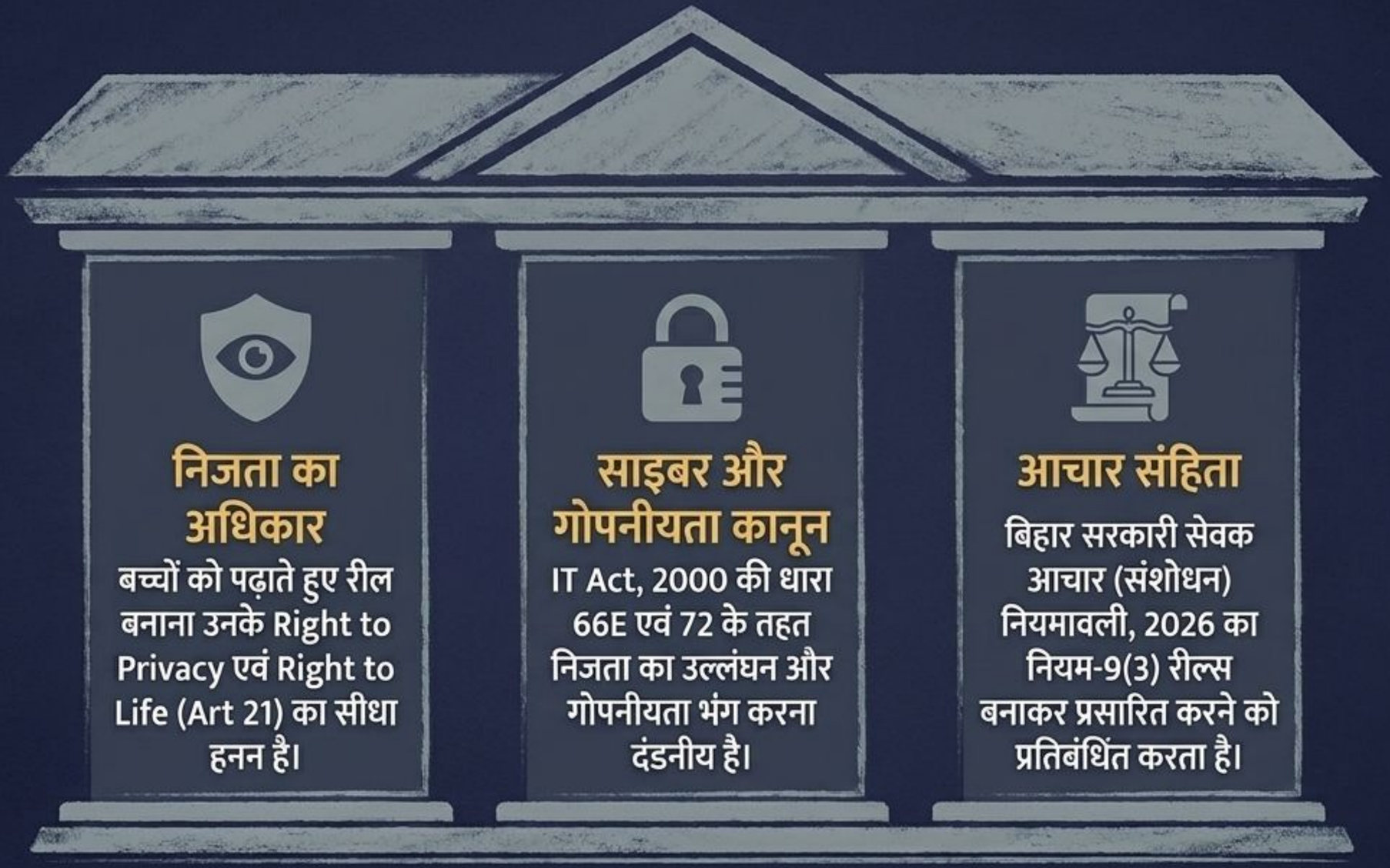


शिक्षा विभाग के संज्ञान में आया है कि कुछ कर्मी विद्यालय परिसर में Influencer बनने के प्रयास में रील्स बना रहे हैं।

इससे सरकार की छवि धूमिल होती है और समाज में एकतरफा नैरेटिव प्रसारित होता है।

यह सीधे तौर पर बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3(1) का उल्लंघन है।

प्रतिबंध के तीन मुख्य कानूनी आधार



निजता का अधिकार

बच्चों को पढ़ाते हुए रील बनाना उनके Right to Privacy एवं Right to Life (Art 21) का सीधा हनन है।

साइबर और गोपनीयता कानून

IT Act, 2000 की धारा 66E एवं 72 के तहत निजता का उल्लंघन और गोपनीयता भंग करना दंडनीय है।

आचार संहिता

बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली, 2026 का नियम-9(3) रील्स बनाकर प्रसारित करने को प्रतिबंधित करता है।

कक्षा की गरिमा और कानूनी परिणाम



सरकारी स्कूलों में शिक्षक (विशेषकर महिला) द्वारा पढ़ाते हुए रील बनाना न्यायोचित नहीं है।



यह सरकारी कार्य में बाधा (Disruption) उत्पन्न करता है। बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः निषेध है।



दंडनीय अपराध!

सरकारी कार्य में बाधा डालने पर IPC की धारा-186 (नई BNSS धारा-221) के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Red Line - पूर्णतः प्रतिबंधित सामग्रियाँ



किसी राजनीतिक विषय पर अभियान या धर्म / जाति / उप-जाति को बढ़ावा देना पूर्णतः अवैध है।



कोई भी ऐसा पोस्ट जो राष्ट्रीय सुरक्षा या आंतरिक सुरक्षा के विपरीत हो।



Illegal, obscene, derogatory, threatening, या abusing भाषा/सामग्री का प्रयोग।



किसी भी प्रकार के Intellectual Property Rights (बौद्धिक संपदा अधिकार) का उल्लंघन।

क्या करें और क्या न करें: एक तुलनात्मक विश्लेषण

प्रतिबंधित	अनुमति योग्य
विद्यालय परिसर में निजी/व्यक्तिगत रील बनाना।	राष्ट्रीय पर्व (15 अगस्त / 26 जनवरी) के सांस्कृतिक कार्यक्रम।
कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हुए वीडियो रिकॉर्ड करना।	सामाजिक कार्य (वृक्षारोपण, रक्तदान, श्रमदान, स्वच्छता अभियान)।
रिकॉर्डिंग हेतु बाहरी व्यक्तियों का अनाधिकृत प्रवेश।	गणमान्य व्यक्तियों का औचक निरीक्षण।

अनुमति प्रक्रिया: सकारात्मक कार्यों को सो साझा करने का सही तरीका

योजना

सामाजिक या सांस्कृतिक गतिविधि (जैसे: स्वच्छता अभियान या 26 जनवरी) की रूपरेखा तैयार करें।

पूर्व-अनुमति

नियंत्री[illegible]दाधिकारी से सो[illegible]या इस्तेमा[illegible]लिखित पूर्व-अनुमति प्राप्त करें।

रिकॉर्डिंग

अनुमति मिलने के बाद ही विद्यालय में Record/Reel बनाएं।

प्रसारण

सकारात्मक योगदान को नियमानुसार सोशल मीडिया पर साझा करें।

बिना लिखित अनुमति के विद्यालय परिसर की कोई भी गतिविधि ऑनलाइन साझा न करें।

अनुपालन और जिम्मेदारी

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार
(निदेशक - प्रशासन)

इस परिपत्र (कण्डिका-01 एवं 02 में निहित प्रावधानों) का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की पूर्ण जिम्मेदारी निम्नलिखित पदाधिकारियों की होगी:

- क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक
- जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO)

शिक्षकों के लिए ‘Self-Check’

वीडियो रिकॉर्ड करने या पोस्ट करने से पहले खुद से यह 3 प्रश्न पूछें:

- ☐ **स्थान:** क्या मैं स्कूल परिसर में हूँ? (यदि हाँ, तो व्यक्तिगत रील पूर्णतः प्रतिबंधित है)
- ☐ **विषय:** क्या मेरे वीडियो फ्रेम में बच्चे (छात्र) हैं? (बच्चों की निजता का उल्लंघन गैरकानूनी है)
- ☐ **अनुमति:** यदि यह एक सांस्कृतिक या सामाजिक कार्यक्रम है, तो क्या मेरे पास नियंत्रक पदाधिकारी की लिखित पूर्व-अनुमति है? (बिना लिखित अनुमति के कोई पोस्ट नहीं)

निष्कर्ष: एक शिक्षक की गरिमा

“A TEACHER AFFECTS ETERNITY

– Henry Brooks Adams

यानि कि शिक्षक कई पीढ़ियों तक प्रभाव डालता है।

यह नियम कोई सजा नहीं है, बल्कि शिक्षक के सदाचार और विचार की गरिमा को सुरक्षित रखने का एक प्रयास है।
शिक्षक का आचार एवं विचार हमेशा सदाचार होना चाहिए, कदाचार नहीं।
शिक्षा का कार्य ज्ञान बांटना है, सोशल मीडिया पर ‘Likes’ बटोरना नहीं।